झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

पंचम् झारखण्ड विधान–सभा
अष्टम् (बजट) सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण– सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन के नियम– 147 के अन्तर्गत दिनांक– 21.03.2022 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :–

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01–	**श्री मथुरा प्रसाद महतो स0वि0स0** **श्री निरल पुरती स0वि0स0**	धनबाद जिला समाहरणालय ज्ञापांक– 338, दिनांक– 09.04.2008 के आलोक में जिले के विभिन्न अंचलों में अमानत पास एवं इन्टर मीडिएट पास के आधार पर दैनिक पारिश्रमिक अमीनों का नियुक्ति किया गया था जो वर्त्तमान में 10 वर्षो से अधिक अवधि तक अपनी सेवा दे चुके हैं जिसकी पुष्टि दिनांक– 19.02.2020 को हुई जिला स्थापना समिति धनबाद तथा दिनांक– 20.02.2020 को प्रमण्डलीय आयुक्त उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल हजारीबाग के द्वारा भी की गई है, परन्तु राज्य सरकार द्वारा 2015 के नियमावली में अमीन पद के लिए इन्टर मीडिएट एवं ITI सर्वेयर पास होना अनिवार्य कर दिया गया है जिससे पूर्व से कार्य कर रहे दैनिक पारिश्रमिक अमीन संबंधित नियुक्तियों में आयु सीमा तथा शिक्षण योग्यता में अहर्त्ता पूर्ण नहीं कर पाने के कारण वंचित रह जा रहे हैं। अतः धनबाद जिले में पूर्व से कार्य कर रहे दैनिक पारिश्रमिक अमीनों की सेवा नियमितीकरण नियमावली के आधार पर नियमित किये जाने हेतु सदन का ध्यानाकृष्ट किया जाता है।	**राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार**

01.	02.	03.	04.
02-	श्री बिरंची नारायण स0वि0स0	झारखण्ड के सरकारी विश्वविद्यालयों में B.Ed एवं M.Ed शिक्षा का अपना विभाग नहीं होने के कारण विद्यार्थियों को प्राईवेट विश्वविद्यालयों से पी0एच0डी0 (एजुकेशन) की उपाधि लेनी पड़ती है जो कि काफी खर्चीला है एवं इसके लिए राज्य के बाहर भी पलायन करना पड़ता है। झारखण्ड में मात्र 4 B.Ed कॉलेज क्रमशः राँची में 2 (एक महिला एवं एक पुरूष), देवघर में 1 और हजारीबाग में 1 अवस्थित है, जो कि 2 वर्षीय B.Ed कोर्स मात्र 12000 रूपये शुल्क में कराते है, जबकि झारखण्ड में अवस्थित करीब 100 प्राईवेट B.Ed कॉलेज का 2 वर्षीय B.Ed कोर्स का फीस 1.5- 2 लाख रूपये है। झारखण्ड राज्य में सरकारी शिक्षण-प्रशिक्षण महाविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों के विरूद्ध राज्य बनने के बाद से कोई नियुक्ति नहीं की गई है, जिससे यहाँ 90 प्रतिशत पद रिक्त पड़े है एवं इन महाविद्यालयों को सुचारू रूप से परिचालन के लिए सरकार द्वारा जो अनुदान राशि दी जानी चाहिए वह भी नहीं दी जा रही है एवं घंटी आधारित शिक्षकों से शिक्षण का कार्य लिया जा रहा है, जिससे परोक्ष रूप से प्राईवेट प्रशिक्षण महाविद्यालयों को फायदा पहुँचाया जा रहा है। राँची विश्वविद्यालय सहित अन्य विश्वविद्यालयों B.Ed की पढ़ाई सेल्फ फाईनेंस के आधार पर सरकारी अंगीभूत महाविद्यालय में कराई जाती है, जिसमें उच्च शिक्षा प्राप्त शिक्षकों एवं विद्यार्थियों का आर्थिक शोषण होता है, सरकार को इन सभी सरकारी विश्वविद्यालयों एवं कॉलेज में सेल्फ फाईनेंस की जगह रेगुलर विभाग	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा

01.	02.	03.	04.
		की स्थापना एवं फैकल्टी की बहाली करनी चाहिए। राज्य में संचालित विश्वविद्यालयों में नामांकन हेतु शुल्क संरचना का निर्धारण स्वपोषित योजना के तहत किया जाता है, जबकि 85 प्रतिशत विद्यार्थियों के खर्च का वहन सरकार द्वारा छात्रवृत्ति के रूप में कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है और अंगीभूत महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की सेवा-शर्त नियमावली नहीं बनने के कारण आज तक इन्हें UGC एवं NCTE के मानकों के अनुरूप भुगतान नहीं किया जा रहा है, जबकि विश्वविद्यालयों के अंगीभूत महाविद्यालयों के B.Ed विभाग में 3 करोड़ से अधिक की राशि जमा है तथा इसका अंकेक्षण (Audit) भी अब तक नहीं करवाया गया है। अतएव सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए मांग करता हूँ कि सरकार राज्य के सभी सरकारी विश्वविद्यालय में B.Ed एवं M.Ed शिक्षा का अपना विभाग स्थापित कराये, ताकि यहा पी0एच0डी0 (शिक्षा) का पाठ्यक्रम सरकारी शुल्क पर उपलब्ध हो सके और राज्य के पाँचों प्रमण्डलों (बोकारो सहित) में दो-दो सरकारी B.Ed कॉलेज प्रारंभ कराये, ताकि राज्य के विद्यार्थियों को सरकारी शुल्क में B.Ed की शिक्षा प्राप्त हो सके।	
03-	**श्री मंगल कालिन्दी स0वि0स0 श्री समीर कुमार मोहन्ती स0वि0स0**	पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत जुगसलाई विधान-सभा क्षेत्र के प्रखण्ड बोड़ाम में भुईयासिनान से जैरका, भूला, हाथीखेदा मंदिर, मुकरूडीह, रसिक नगर होते हुए बड़ा बाजार पश्चिम बंगाल सीमा तक पथ जिसकी कुल लम्बाई 22.44 कि0मी0 है, इस पथ का निर्माण कार्य पहले ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जाना था, परन्तु उक्त पथ को पथ निर्माण विभाग में हस्तानांतरित किया गया है। उक्त पथ पश्चिम बंगाल एवं अन्य राज्यों को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण पथ है परन्तु सम्पर्क पथ के आभाव में आम जनता को काफी परेशानियों का सामना	**पथ निर्माण**

कृ0पृ030-

01.	02.	03.	04.
		करना पड़ता है तथा जमशेदपुर प्रखण्ड अन्तर्गत गदड़ा दुर्गा पूजा मैदान चौक से छोट गदड़ा गाँव होते हुए टुपूडाँग (पीपल पेड़) तक देश की आजादी के बाद आजतक सड़क का निर्माण नहीं किया गया है। उक्त दोनों पथों के निर्माण कार्य नहीं होने से क्षेत्र की जनता में काफी रोष व्याप्त है। अतः आसन के माध्यम से उक्त दोनों पथों के निर्माण को जनहित एवं लोकहित में इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कराने हेतु सदन का ध्यानाकृष्ट किया जाता है।	
04–	**श्री अनन्त कुमार ओझा स0वि0स0**	''पलामू जिले के नावा बाजार थाना में रहे थाना प्रभारी लालजी यादव की मौत दिनांक– 10.01.2022 को पलामू में हो गयी। उनकी मौत, संदेहास्पद परिस्थिति में मौत की साजिस की आशंका व्यक्त की जा रही है, जैसा कि उनके परिजनों की मांग और स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों से ज्ञात हो रहा है। साथ ही इस संदेहास्पद मौत से उनके स्थानीय जिला के आमजन के साथ–साथ जहाँ–जहाँ वे अपने पदस्थापन काल में उन्होंने सेवा दी वहाँ की जनता भी आक्रोश में है। स्व0 लालजी यादव कर्त्तव्यपरायण, ईमानदार व उत्तम छवि वाले पुलिस अधिकारी थे। उनके मृत्यु से पूर्व पलामू जिला अन्तर्गत अपने थाना क्षेत्र में अवैद्य खनन, सड़क पर वाहनों से अवैद्य वसूली के विरोध करने और रोकने के कारण उच्च अधिकारियों से उनका विवाद हुआ था, जिसमें पलामू जिला परिवहन पदाधिकारी, अनवर हुसैन द्वारा पुलिस अधीक्षक, पलामू से शिकायत करने के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था। साथ ही जिला परिवहन पदाधिकारी पलामू, अनवर हुसैन पर पूर्व में भी कई गंभीर आरोप लगे है। वर्णित सभी तथ्यों की जाँच स्वतंत्र एजेन्सी (सी0बी0आई0) से करायी जाय।	**गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन**

कृ0पृ030–

01.	02.	03.	04.
		अतः सदन के माध्यम से सरकार से माँग करता हूँ कि उक्त तथ्यों पर सरकार अविलम्ब स्व0- लालजी यादव के परिजन को 01 करोड़ रूपया मुआवजा, मृतक के परिजन को नौकरी तथा संदेहास्पद परिस्थिति में मौत की साजिश की स्वतंत्र एजेन्सी (सी0बी0आई0) से जाँच करायी जाय, ताकि उनके परिजन को न्याय मिल सके, जिस ओर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	
05-	**श्री राजेश कच्छप स0वि0स0** **श्री सोनाराम सिंकू स0वि0स0** **श्री भूषण बड़ा स0वि0स0**	संयुक्त बिहार में 85-90 के दशक में सरकार के विभिन्न विभागों में Back door से लगभग 15 से 20 हजार कर्मी बहाल किये गये। बहाली के क्रम में राज्य के Resolution 1983 (3rd March) शासकीय आदेश Govt of Bihar (25 Dec-1980) का उल्लंघन किया गया। कैबिनेट की भी स्वीकृति नहीं ली थी। जब मामले का उद्धभेदन हुआ तो Bihar Govt. ने ऐसे कर्मियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया, इन कर्मियों की बर्खास्तगी को मा0 उच्चतम न्यायालय ने भी जायज ठहराया, लेकिन झारखण्ड में ऐसे कर्मीगण जिनकी संख्या हजारों में है अकेले Health Dept. में 10 हजार से ज्यादा फर्जी बहालियाँ हुई है जिनमें अधिकांश लोग Govt of Jharkhand में ठाठ-बाठ से नौकरी कर रहे है और बिहार में ऐसे कर्मी बर्खास्त हो चुके है। Ref CIVIL APPEAL NO-7879 OF 2019 (ARISING OUT OF SLIP) NO-11885 OF 2012 NO- 2437 OF 2019 (DIARY NO-9625 OF 2017) अतः मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्यहित में त्वरित जाँच सुनिश्चित कर ऐसे कर्मियों को सेवा से हटाने व दोषियों पर कार्रवाई करने की ओर आसन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट किया जाता है।	**मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी**

राँची,
दिनांक- 21 मार्च, 2022 ई0।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-प्र0ध्या0-01/2022-...1385.../वि0 स0, राँची, दिनांक- 16/03/22

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, राँची/ राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग/उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग/पथ निर्माण विभाग/गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग एवं मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/3/22

(एस0 शिराज वजीह बंटी)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-प्र0ध्या0-01/2022-...1385.../वि0 स0, राँची, दिनांक- 16/03/22

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

16/3/22

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष/-

16.03.22